संख्या: 238/1-1(46)-1985-राजस्व-1

प्रेषक,

रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
राजस्व सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कलेक्टर,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक: 22 जनवरी, 1986

विषय:-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1986)।

महोदय,

राजस्व अनुभाग-1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायिका अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-49/सत्रह-वि0-1-2 (क)-1-1986, दिनांक 13 जनवरी, 1986 के अन्तर्गत उसी दिनांक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2, खण्ड (क) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1986) के द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में संशोधन किया गया है। इस अध्यादेश द्वारा किये गये संशोधनों का आशय कार्यान्वयन में सुविधा की दृष्टि से नीचे स्पष्ट किया जा रहा है:-

(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की मूल धारा 13 के अनुसार धारा 11 (2) या धारा 12 के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो। उक्त धारा 13 में यह भी उपबन्धित है कि जिला न्यायाधीश अपील को यथाशक्य शीघ्र निस्तारित करेगा तथा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसके प्रवर्तन को ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकेगा, जो ठीक और उचित समझी जायें। अब अध्यादेश के खण्ड-2 द्वारा उक्त धारा 13 में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 (2) तथा 12 के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध किसी पक्ष द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जायगी, जो उसका यथाशक्य शीघ्र निस्तारण करेगा और उस आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई हो।

(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 20 में यह प्राविधान है कि राज्य में निहित हुई अतिरिक्त भूमि के लिए राशि पाने के हकदार व्यक्ति के संबंध में प्रस्तावित निर्धारण तालिका की शुद्धता पर कोई आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने की दशा में नियत प्राधिकारी उसे निर्धारण तालिका घोषित करेगा। प्रस्तावित निर्धारण तालिका को निर्धारण तालिका घोषित करने से संबंधित आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपनी अनुपस्थिति में पारित आदेश से क्षुब्ध हो, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, नियत प्राधिकारी उस आदेश को रद्द कर देगा और उक्त व्यक्ति को कारण बताने की अनुमति देगा कि प्रस्तावित निर्धारण तालिका को क्यों न अनन्तिम मान लिया जाय। नियत प्राधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील करने का प्राविधान अधिनियम की धारा 20 में उपबन्धित है। अध्यादेश के खण्ड-2 द्वारा उक्त धारा 20 को संशोधित करके यह प्राविधान कर दिया गया है कि प्रस्तावित निर्धारण तालिका को निर्धारण तालिका घोषित करने से संबंधित आदेश को रद्द करने तथा अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने की दशा में प्रस्तावित निर्धारण तालिका को अन्तिम माने जाने के लिये उसे कारण बताने की अनुमति देने से संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील जिला न्यायाधीश के बजाय अब आयुक्त को की जायगी।

(3) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 21 में प्रस्तावित निर्धारण तालिका के विरुद्ध की गई आपत्तियों के निस्तारण का प्राविधान है। इस प्राविधान के अनुसार नियत प्राधिकारी प्रस्तावित निर्धारण तालिका के विरुद्ध आपत्ति करने वाले व्यक्ति को सुनेगा एवं उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए अपना निर्णय देगा तथा उक्त नियमानुसार निर्धारण तालिका तैयार करेगा और उसे घोषित करेगा। नियत प्राधिकारी के इस

आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील किये जा सकने का प्राविधान अधिनियम की धारा 21 में प्राविधानित है। धारा 21 के अनुसार जिला न्यायाधीश अपील की यथासंभव शीघ्र सुनवाई करेगा और उस पर निर्णय देगा तथा यथावश्यकता निर्धारण तालिका उस निर्णय के अनुसार संशोधित की जायगी। अध्यादेश के खण्ड-2 द्वारा धारा 21 संशोधित कर दी गई है और अब संशोधित धारा 21 के अनुसार प्रस्तावित निर्धारण तालिका के विरुद्ध की गई आपत्तियों पर विहित प्राधिकारी के निर्णय तथा उक्त निर्णयानुसार तैयार करके घोषित की गई निर्धारण तालिका के विरुद्ध अपील आयुक्त को की जायगी। इस प्रकार जिला न्यायाधीश को अपील किये जाने से संबंधित व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है।

(4) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उपधारा (2) के अनुसार यदि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपील की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा होनी हो, तो वह या तो स्वयं उस अपील को सुन सकता है या उसे सुनवाई के लिए अपने अधीनस्थ किसी अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश को संक्रमित कर सकता है। चूंकि अधिनियम की धारा 13, 20 तथा 21 के अधीन अपील की सुनवाई का अधिकार जिला न्यायाधीश के बजाय अब आयुक्त को दे दिया गया है, अतएव अध्यादेश के खण्ड-3 द्वारा अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) को संशोधित करके यह प्राविधान कर दिया गया है कि आयुक्त या तो स्वयं अपीलों को सुनेंगे अथवा उसे सुनवाई के लिये अपने अधीनस्थ अपर आयुक्त को संक्रमित कर सकेंगे।

(5) अध्यादेश के खण्ड 4 द्वारा संक्रमणकालीन उपबन्ध किये गये हैं। इस संक्रमणकालीन उपबन्ध के अनुसार उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 13, 20 तथा 21 के अधीन समस्त कार्यवाहियां और अपीलें, जो अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, आयुक्त को अन्तरित हो जायेंगी और अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयुक्त द्वारा उनका निस्तारण किया जायगा। इस प्रकार अध्यादेश के प्रारंभ के ठीक पूर्व धारा 13, 20 तथा 21 के अधीन विचाराधीन समस्त अपीलें आयुक्त को तत्काल अंतरित किये जाने की कार्यवाही की जानी है। इस संबंध में जिला सरकारी वकील (दीवानी) को निर्देशित किया जाय कि वे प्रार्थना-पत्र देकर अध्यादेश द्वारा किये गये संशोधनों को संबंधित जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, के संज्ञान में लायें और उनके न्यायालय में विचाराधीन अपीलों को आयुक्त के न्यायालय में अन्तरित किये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

2--अध्यादेश द्वारा किये गये संशोधनों को कृपया संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें, ताकि सीलिंग कानून का क्रियान्वयन संशोधित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।

3--अध्यादेश तथा इन निदेशों की अतिरिक्त प्रतियां आपको शीघ्र ही अलग से भेजी जायेंगी। इस समय अध्यादेश की एक प्रति संलग्न है। कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरोक्त।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
राजस्व सचिव।

संख्या: 238(1)/1-1(46)-1985-राजस्व-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--समस्त मण्डलों के आयुक्त।
2--सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
3--चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
4--निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5--निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, मंसूरी।
6--निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल।
7--राजस्व सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण एवं समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
तेजबहादुर उपाध्याय,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1986)

(भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुछेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:––

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1––(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 13, 20 और 21 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13, 20 और 21 में, जहां-जहां भी शब्द "जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज)" या शब्द "जिला न्यायाधीश" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जायगा।

धारा 38 का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में,––

(1) शब्द "जिला न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "आयक्त" रख दिया जायगा।

(2) शब्द "अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "अपर आयुक्त" रख दिये जायेंगे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4––मूल अधिनियम की धारा 13, 20 और 21 के अधीन समस्त कार्यवाहियां और अपील जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, आयुक्त को अन्तरित हो जायेंगी और उनका निस्तारण आयुक्त द्वारा इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

मोहम्मद उसमान आरिफ़,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND-HOLDINGS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986

[U. P. ORDINANCE NO. 3 OF 1986]

(Promulgated by the Governor in the Thirty-sixth year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances, exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of sections 13, 20 and 21 of U. P. Act no. 1 of 1961

2. In sections 13, 20 and 21 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the word "District Judge" wherever occurring, the word "Commissioner" shall be *substituted.*

Amendment of section 38.

3. In section 38 of the principal Act, in sub-section (2),—

(*a*) *for* the word "District Judge" the word "Commissioner" shall be *substituted.*

(*b*) *for* the words "Additional District Judge, Civil Judge or Additional Judge" the word "Additional Commissioner" shall be *substituted.*

Transitory provision

4. All proceedings and appeals under sections 13, 20 and 21 of the principal Act, pending immediately before the commencement of this Ordinance before any District Judge, Additional District Judge, Civil Judge or Additional Civil Judge shall stand transferred to the Commissioner and shall be disposed of by the Commissioner in accordance with the provisions of the principal Act, as amended by this Ordinance.

MOHAMMAD USMAN ARIF,

Governor,

Uttar Pradesh.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 64 सा0 (राजस्व)—11-2-86—(3616)—1986—2,000 (मैके0)।